छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | नवम् सत्र | अंक-17

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2012

(चैत्र-10, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03, 05 से 12 एवं 14 से 16 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या 04 एवं 13 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री रामपुकार सिंह एवं श्री दूजराम बौद्ध अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 12 तारांकित एवं 37 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पृच्छा

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा दिनांक 29.3.12 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य के लिए कहे गये असंसदीय शब्दों को विलोपित किये जाने की ओर आसंदी का ध्यान आकृष्ट किया गया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा आसंदी से असंसदीय शब्दों को विलोपित किये जाने एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा खेद व्यक्त किए जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों को आश्वस्त किया कि किन परिस्थितियों में वह शब्द कहे गये हैं, उसका कार्यवाही में परीक्षण करने के पश्चात्, सदन की गरिमा एवं मर्यादा के अनुरूप, वे न्यायसंगत निर्णय लेंगे।

3. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में यह उल्लेख करते हुए कि माननीय अध्यक्ष द्वारा संदर्भित कार्यवाही का परीक्षण करते तक प्रतीक्षा करेंगे तब तक प्रतिपक्ष सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया ।

(सदन की कार्यवाही 12.09 बजे स्थगित की जाकर 12.45 बजे पुनः प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

4. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - अभी जो विषय सभा में आया था, मैंने संदर्भित कार्यवाही देख कर उसमें जो आपत्तिजनक अंश हैं, मैंने उन्हें रिकार्ड से निकालने का निर्णय लिया है।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री महेश गागड़ा, संसदीय सचिव ने -

(1) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक),

(2) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011, एवं

(3) छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011,

पटल पर रखा।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से नियम 138 (3) को शिथिल कर आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की।

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने नगर पालिक निगम रायपुर में शामिल किये गये गांवों में विकास कार्य नहीं होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ.शिवकुमार डहरिया, सर्वश्री मोहम्मद अकबर, रविन्द्र चौबे, सदस्य ने रायपुर जिला अंतर्गत रावांभाटा में मेटल पार्क स्थापित करने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को अनुदान तथा छूट नहीं दिये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने महासमुंद जिले में इंडियन ऑयल द्वारा पाइप लाइन बिछाने से रबी फसल को नुकसान होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री भोलाराम साहू, सदस्य ने राजनांदगांव जिले में सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत गणवेश खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267 (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री सौरभ सिंह

(2) श्री परेश बागबाहरा

(3) श्री मोहम्मद अकबर

(4) श्री दूजराम बौद्ध

(5) श्री ह्दयराम राठिया

(6) श्री रामदेव राम

(7) श्री भजन सिंह निरंकारी

(8) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अष्टम् प्रतिवेदन तथा नवम् (कार्यान्वयन), एवं

(2) श्री फूलचंद सिंह, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का सप्तम्,

प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2012 (क्रमांक 3 सन् 2012)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2012 (क्रमांक 3 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की एवं चर्चा के दौरान माननीय नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा शासकीय राशि का दुरूपयोग किए जाने संबंधी सूचना की ओर आसंदी का ध्यान आकृष्ट कराया । इस पर माननीय अध्यक्ष ने सदन को यह सूचित करते हुए कि उक्त सूचना को अग्राह्य कर दिया है, यह व्यवस्था दी कि -

4. अध्यक्षीय व्यवस्था

अनुदान की मांगों के समय कही गई बातें विनियोग विधेयक के चर्चा की विषय वस्तु नहीं

छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 159 में विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद के संबंध में विस्तार से प्रक्रिया का उल्लेख है जिसके अंतर्गत वाद-विवाद लोक महत्व अथवा विधेयक में आने वाले अनुदानों में अन्तर्निहित प्रशासकीय नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहेगा, जो पहले ही उस समय नहीं उठाये जा चुके हों, जबकि संगत अनुदान की मांगें विचाराधीन थीं।

नियम मे यह भी प्रावधानित है कि वाद-विवाद की पुनरूक्ति को रोकने की दृष्टि से विनियोग विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के इच्छुक सदस्यों को अध्यक्ष उन विशिष्ट विषयों की पूर्व सूचना देने को कह सकेगा जो वे उठाना चाहते हों और वे ऐसे विषयों को उठाने के लिए अनुज्ञा रोक सकेगा जो उसकी राय में किसी अनुदान की मांग के संबंध में चर्चा किये गये विषयों की पुनरूक्ति प्रतीत होते हों या जो पर्याप्त लोक महत्व के न हों।

इस संबंध में कौल-शकधर पृष्ठ 730 में भी यह उल्लेखित है कि विभिन्न अनुदान की मागों से संबंधित वाद-विवाद के दौरान जिन विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो चुकी हो, वे विषय विनियोग विधेयक के चर्चा के विषय-वस्तु नहीं बन सकते।

माननीय सदस्य श्री नंदकुमार पटेल ने कल दिनांक 29.03.2012 को विनियोग विधेयक पर चर्चा के समय उनके द्वारा उठाये जाने वाले कतिपय बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए सूचना दी थी और सूचना के साथ में कुछ दस्तावेज भी संलग्न किये थे। किस बिन्दु के संबंध में कौन से दस्तावेज हैं यह प्रयास करने भी स्पष्ट नहीं हो सका। किन्तु जो भी दस्तावेज उन्होंने संलग्न किये और जो बिन्दु उन्होंने सूचना में दिये उनका न तो वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक से संबंध है और न ही वे शासन के किसी प्रशासकीय नीति के संबंध में हैं।

विनियोग विधेयक पर चर्चा की व्याप्ति कहाँ तक हों? यह नियमों में स्पष्ट है, जिसका उल्लेख मैने पूर्व में किया है और माननीय सदस्य की सूचना पर विचारोपरांत मैंने सूचना को अग्राह्य करते हुए नस्तीबद्ध कर दिया है।

मैं इस अवसर पर यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि चर्चा के समय माननीय सदस्य नियमों के अनुरूप ही विषयों का अपने भाषण में उल्लेख करें, जो बातें अनुदान की मागों के समय सभा में कही जा चुकी हैं, उनकी पुनरावृत्ति न हो।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्री मोहम्मद अकबर,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुदान मांगों पर चर्चा के समय सभी बातें आ गयी हैं, विनियोग विधेयक पर विस्तार से बातें नहीं आती है केवल प्रशासनिक नीति के संबंध में बातें रखी जा सकती है। आज शाम 5.00 बजे के पूर्व विनियोग विधेयक पारित होना है। माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात भी रखनी है अतः माननीय सदस्यों से आग्रह है कि विषय पर बात रखें और समय सीमा का ध्यान रखें।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री देवजी पटेल,

(सभापति महोदय (श्री ताम्रध्वज साहू) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री परेश बागबाहरा, दीपक कुमार पटेल, टी.एस.सिंहदेव, (डॉ.) कृष्णमूर्ति बांधी, रविन्द्र चौबे।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2012 (क्रमांक 3 सन् 2012) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

सायं 5.28 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक 2 अप्रैल, 2012 (चैत्र 13, शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा